भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1253

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादकता की प्रगति

1253. श्री अ.मनि:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादकता बढ़ाने के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है:

(ख) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस प्रकार जैविक खेती और सटीक कृषि सहित नवीन और वहनीय कृषि पद्धतियों को सहायता प्रदान करती है;

(ग) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ध्यान दिए जाने वाले मुख्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और वर्तमान कृषि चुनौतियों का समाधान करने के लिए समय के साथ उनका विकास किस प्रकार हुआ है;

(घ) लघु और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों में आरकेवीवाई परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए कार्यान्वित किए जाने वाले तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) का प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं और किसानों की प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है, जिससे खेती एक लाभदायक और सतत आर्थिक गतिविधि बन सके।

आरकेवीवाई ने कृषि क्षेत्र में समग्र दक्षता और लाभप्रदता में सुधार के लिए आवश्यक पूर्व और पश्चात फसल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की सुविधा, गुणवत्ता इनपुट, भंडारण सुविधाओं और बाजार संपर्कों तक पहुंच सुनिश्चित करके किसानों के प्रयासों को मजबूत किया है।

आरकेवीवाई के तहत नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास कार्यक्रम नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देता है। यह कार्यक्रम कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। कार्यक्रम के तहत, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में उद्यमियों/स्टार्टअप को अपने उत्पादों, सेवाओं, व्यापार प्लेटफार्मों आदि को लॉन्च करने और विस्तार में सुविधा प्रदान करने के लिए आइडिया/प्री सीड चरण में 5 लाख रुपये तक और सीड चरण में 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्टार्टअप द्वारा विकसित की गई नवीन प्रौद्योगिकियाँ जैविक खेती और सटीक कृषि सहित कृषि को अधिक सतत और जलवायु-अनुकूल बनाने में योगदान देती हैं।

(घ): पीएम-आरकेवीवाई कम लागत वाली, संसाधन-कुशल कृषि तकनीकों को बढ़ावा देकर सीमांत और छोटे किसानों को प्राथमिकता देता है। लक्षित पहलों में कस्टम हायरिंग सेंटर, फसल विविधीकरण और सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों तक पहुंच शामिल है। पीएम-आरकेवीवाई का पीकेवीवाई घटक दो हेक्टेयर से कम औसत जोत वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्रियान्वित किया गया है। छोटे और सीमांत किसानों का कोई अलग से वर्गीकरण नहीं किया गया है।

(ङ): आरकेवीवाई के सभी घटकों को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के कृषि विभाग समन्वय, योजनाओं की तैयारी, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए नोडल एजेंसी हैं। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) भी राज्य स्तर पर योजना की देखरेख करती है, जिसमें कृषि और संबद्ध विभागों का प्रतिनिधित्व होता है। आरकेवीवाई के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के सभी घटकों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्यों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में से 25% को उनके द्वारा तीसरे पक्ष की निगरानी और मूल्यांकन के लिए लिया जाएगा।

*****